

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-01-10/2024(स्वा०) ...../पटना, दिनांक .....

डा० मो० सरफराज आलम, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के विरुद्ध श्री जितेन्द्र कुमार, ग्राम-बसवरिया टोला, थाना-तुरकोलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) का बाये पैर में Variscoase vein होने के बावजूद दाहिने पैर का ऑपरेशन करने, BHT को अपने पास रखे रहने एवं समुचित चिकित्सीय उपचार के अभाव में मरीज का मृत्यु होने के आरोप से विभागीय संकल्प सं०-1279(9) दिनांक-12.12.2024 एवं सशोधित संकल्प सं०-642(9) दिनांक-16.06.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2 संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षा में पाया गया कि मरीज का दोनों पैरों में Variscoase vein की समस्या थी। संस्थागत अधीक्षक को रिकॉर्ड रूम के प्रभारी द्वारा BHT उपलब्ध कराया गया था। परिजन मरीज को LAMA कराकर निजी अस्पताल में लेकर चले गये। संचालन पदाधिकारी द्वारा डा० आलम के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) समर्पित किया।

3 अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० आलम के विरुद्ध गठित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) का सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) से सहमत होते हुए डा० आलम को आरोप मुक्त करने विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डा० मो० सरफराज आलम, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को गलत ऑपरेशन करने एवं समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के आरोप से आरोप मुक्त किया जाता है।

5 उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-01-10/2024(स्वा०) 342(9)...../पटना, दिनांक 20.03.26.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा० मो० सरफराज आलम, सह-प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र  
20/03/2026  
सरकार के अवर सचिव।